पत्रांक-2663 दि0-07/08/2026

दिनांक 24.07.2026 को श्री जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य अर्न्तगत 05 जिलों के साथ की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

श्री जय सिंह, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 24.07.2026 को राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर पटना में 15 अगस्त 2026 तक विशेष सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किये जाने वाले चयनित 05 जिलों यथा लखीसराय, शेखपुरा, एवं शिवहर जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी तथा जहानाबाद एवं अरवल जिला के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ निदेशालय स्तर से सभी नोडल पदाधिकारी एवं श्री सुहर्ष भगत, निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई।

उक्त बैठक में जिलावार प्रगति निम्नवत् पाई गई :-

जहानाबाद : जहानाबाद जिले में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के प्रथम चरण में कुल 240 राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण कार्य संचालित है, जिसमें 15 अगस्त 2026 तक कुल 158 राजस्व ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किये जाने की कार्य योजना समर्पित की गई है। उक्त 158 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र-20 से प्रपत्र-25 तक के प्रक्रम का प्रतिवेदन निम्नवत् है :-

जिला का नाम	निर्धारित अवधि तक पूर्ण किये जाने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	प्रपत्र-21 में शून्य आपत्ति वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	प्रपत्र-21 में सुनवाई में पूर्ण मौजों की संख्या	प्रपत्र-21 में सुनवाई हेतु लंबित मौजों की संख्या	प्रपत्र-25 प्रकाशित मौजों की संख्या
1	2	3	4	5	6
जहानाबाद	158	14	95	49	0

सर्वप्रथम बैठक में बन्दोबस्त पदाधिकारी जहानाबाद को अनुपस्थित पाये जाने के संबंध में पृच्छा करने पर उपस्थित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.07.2026 से उप विकास आयुक्त, अरवल बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद एवं अरवल के अतिरिक्त प्रभार में है तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 100 दिवस कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत अरवल जिला के विगत 100 दिनों की प्रगति के रिर्पोट कार्ड से संबंधित कार्यो में व्यस्त रहने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अब तक जहानाबाद जिले में प्रपत्र-25 में एक भी मौजा का प्रकाशन नहीं किया गया है जबकि 14 राजस्व ग्राम के प्रपत्र-21 में रैयतो से प्राप्त दावा/आपत्ति की संख्या शून्य है।

बैठक के दौरान दूरभाष पर उप विकास आयुक्त, अरवल-सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी जहानाबाद से पृच्छा करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में प्रपत्र-21 के आदेश लेखन में अन्य पदाधिकारियों को लगाया गया है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करा लेने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया।

Sd/-

2. जिले में चल रहे रैयतों से प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन की समीक्षा में उपस्थित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.07.2026 तक प्रपत्र–21 में कुल 5042 दावा/आपत्ति प्राप्त है, जिसमें से 2877 दावा आपत्ति का निष्पादन कर कुल 2207 दावा/आपत्ति में पारित आदेश को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त कार्य में 05 राजस्व पदाधिकारी संलग्न है एवं दिनांक 22.07.2026 को 361 आदेश अपलोड किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि लगभग 300 आदेश प्रति कार्यदिवस पारित की जा रही है। विभागीय पोर्टल पर अपलोडेड आदेश के गुणवत्ता की जाँच के बिन्दू पर पृच्छा करने पर निदेशालय से संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा जहानाबाद जिले द्वारा अपलोड आदेश की प्रति उपस्थापित की गई जिसके समीक्षोपरांत निम्न त्रुटियाँ पायी गयी :–

(i) खेसरा दर्ज पाया गया परन्तु एस0एस0 अथवा पूर्व का खेसरा अंकित है अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो सका।

(ii) कतिपय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि साक्ष्य के रूप में लगान रसीद एवं अन्य 02 साक्ष्य संलग्न रहने पर भी अनाबाद बिहार सरकार दर्ज किया गया है। कतिपय आदेशों में आपत्ति का आधार अंकित नहीं पाया गया।

(iii) एक अन्य नाम सुधार वाले मामले के अवलोकन में पाया गया कि विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त है, उक्त विहित प्रपत्र के अवलोकन से प्रतीत हो रहा है कि सभी में संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है।

(iv) एक अन्य मामले में अपीलकर्त्ता का दावा अस्वीकृत किया गया है, परन्तु प्रपत्र–20 के प्रकाशन में क्या दर्ज है प्रविष्टि नहीं की गयी है।

(v) एक अन्य मामले में प्रपत्र–20 में प्रकाशित अधिकार अभिलेख में संशोधन किये जाने का आदेश है परन्तु प्रविष्टि नहीं पायी गयी।

उपरोक्त के आलोक में सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को किस संदर्भ में कितने आदेश पारित हुए है तथा आदेश के पारदर्शिता का अवलोकन करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार)

3. प्रपत्र–21 में प्राप्त दावा/आपत्ति का विभागीय पोर्टल में अपलोड उपरांत तरमीम के संबंध में पृच्छा करने पर उपस्थित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा बताया गया कि अन्य शिविरों के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को लगाकर आदेश के अनुरूप साथ–साथ तरमीम भी करायी जा रही है तथा अब तक 32 राजस्व ग्रामों का तरमीम किया जा चुका है।

4. प्रपत्र–25 में अबतक शून्य प्रगति पाये जाने के संबंध में पृच्छा करने पर उपस्थित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा बताया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारी के

विभागीय पोर्टल के लॉगिन से अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित है, तद्‌लोक में उनसे शीघ्र लॉगिन कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद)

अरवल:– जिला की समीक्षा के क्रम में उपस्थित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.07.2026 तक कुल 2165 रैयतो से प्राप्त दावा/आपत्ति लंबित है, जिसे आगामी 02 दिनों मे पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रपत्र–25 में 05 राजस्व ग्रामों का अंतिम अधिकार अभिलेख तत्कालीन बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा किया गया है।

प्रपत्र–21 में रैयतो से नाम संशोधन, क्षेत्रफल में संशोधन आदि मामले प्राप्त हुये है।

निदेशित किया गया कि संशोधित किये जा रहे Textual Data के अनुरूप मानचित्र में भी संशोधन कराते हुए इसकी जाँच कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(अनुपालन : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी)

शिवहर :–शिवहर जिला की समीक्षा के क्रम में दिनांक 22.07.2026 तक कुल 109 रैयतों से प्राप्त दावा/आपत्ति लंबित पाये जाने के संबंध में पृच्छा करने पर बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.07.2026 तक उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। दिनांक 30.07.2026 तक लगभग 24 राजस्व ग्रामों का प्रपत्र–25 में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जायेगा।

लखीसराय:–लखीसराय जिले में चल रहे प्रपत्र–21 में रैयतों से प्राप्त दावा/आपत्ति की सुनवाई के समीक्षा के क्रम में दिनांक 22.07.2026 तक कुल 953 दावा/आपत्ति लंबित पाये गये।

इस संबंध में पृच्छा करने पर बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 922 दावा/आपत्ति लंबित है जिसके त्वरित निष्पादन हेतु 02 अतिरिक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को लखीसराय जिले में पदस्थापन करने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके आलोक में 02 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अतरिक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की पदस्थापन के प्रत्याशा में बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय तत्काल जिले में उपलब्ध मानव बल से कार्य लेने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन : स्थापना शाखा, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय)

शेखपुरा:–शेखपुरा जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अर्न्तगत दावा/आपत्ति में से दिनांक 22.07.2026 तक कुल 1332 दावा/आपत्ति लंबित पाये जाने के संबंध में पृच्छा करने पर उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जिले में चल रहे सर्वेक्षण कार्यो की समीक्षा में अनेक त्रुटियाँ पाई गई है, कई अभिलेख नही मिल रहे हैं तथा अभिलेखों का रख–रखाव भी उचित नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओं पर बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा को दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिंन्हित कर उनसे कारण पृच्छा कर असंतोषजनक पाये जाने पर उनके सेवा–विमुक्ति हेतु स्पष्ट अनुशंसा निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा)

उपरोक्त जिलों के समीक्षा के क्रम में निम्न निदेश दिया गया –

(1) समीक्षा के क्रम में बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा बताया गया कि उनके जिले में चल रहे सर्वेक्षण कार्यो की समीक्षा के क्रम में उन्होंने पाया कि एक–एक व्यक्ति का 04 PVT Generate किया गया है।

उक्त के संबंध में समान प्रकृत वाले एक ही व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों को एक साथ टैग कर आदेश पारित करने की कार्रवाई की जा सकती है, निदेशित किया गया।

उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा PVT Generate हेतु लंबित मामले की सूचना प्रदत्त की गई जिसपर निदेशित किया गया कि बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अर्न्तगत प्रत्येक प्रक्रम समयबद्ध है तथा प्रपत्र–8, प्रपत्र–14 एवं प्रपत्र–21 में अपील का प्रावधान है। इस प्रकार बार–बार PVT Generate करने से उक्त राजस्व ग्राम 01 प्रक्रम पीछे चला जायेगा, जिसके कारण सर्वेक्षण कार्यो को पूर्ण करने की कार्य योजना प्रभावित हो रही है। इसमें अनावश्यक विलंब हेतु सभी संबंधित पर जबावदेही तय किये जाने की आवश्यकता है।

इस संबंध में विगत 02 वर्षो का PVT Generate करने के कारण पीछे जाने वाले राजस्व ग्रामों को चिंहिन्त करने तथा PVT Generate उपरांत नये दावा/आपत्ति अपलोड संबंधी डाटा दिनांक 27.07.2026 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

साथ ही विगत माह तक नया PVT Generate संबंधी कितने मामले प्राप्त हुए है तथा जुलाई 2026 तक ऐसे कितने मामले ऑनलॉक किया गया है।

(अनुपालन : श्री प्रिंस कुमार/श्री कुणाल किशोर)

(2) समीक्षा के क्रम में लखीसराय जिले में माह नवम्बर के बाद प्रपत्र–20 में प्रगति नहीं पाये जाने के आलोक में प्राथमिकता वाले 05 जिलों के प्रत्येक राजस्व ग्राम का 01 से 25 तक प्रक्रमवार स्थिति (मौजावार) संबंधित डाटा आई0टी0 सेल से प्राप्त कर गहनता से अवलोकनोपरान्त आवश्यक कार्रवाई हेतु उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : श्री अनुपम प्रकाश, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी)

(3) वर्तमान में प्रपत्र–25 में अंतिम अधिकार अभिलेख के उपरांत मानचित्र का प्रकाशन भी अपेक्षित है जिसे एजेंसी द्वारा भू–नक्शा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।

इस संबंध में अंतिम प्रकाशित मानचित्रों का भू–नक्शा पोर्टल पर अपलोडिंग की जाँच/पर्यवेक्षण हेतु निदेशालय स्तर से 01 दल का गठन करने का निदेश दिया गया। गठित दल प्राप्त मानचित्र की जाँच निर्धारित चेक लिस्ट से करते हुए Check & Verified का मुहर अंकित कर मानचित्रों को बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को संरक्षण हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) आगामी होने वाले समीक्षात्मक बैठक हेतु अंतिम मानचित्र का भू–नक्शा पोर्टल में अपलोडिंग का कॉलम संबंधित प्रतिवेदन में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(5) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य अर्न्तगत रैयतो से प्राप्त दावा/आपत्ति पर की गई सुनवाई संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल पर अपलोडिंग से पूर्व उक्त की गुणवत्ता की जाँच करने हेतु सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया, एवं प्रपत्र–25 के Generation के उपरांत संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी अपना डिजिटल सिंगनेचर Bulk Signing के साथ करना सुनिश्चित करेंगे।

(6) सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी अपने अधीनस्थ विशेष कर्मियों की Online Attendance एवं डायरी की नियमित जाँच करना सुनिश्चित करेंगे।

(7) समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्राथमिकता वाले 05 जिलो में अंतिम अधिकार अभिलेख का Property Card निर्माण किया जाना है। उक्त हेतु निदेशालय द्वारा प्रस्तुत Property Card के प्रारूप के अवलोकनोपरांत निम्नांकित सुधार कर दिनांक 28.07.2026 तक उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(i) Property Card में उपलब्ध डाटा रैयत को बैंक एवं अन्य कार्य हेतु उपयोगी रहना चाहिये।

(ii) Property Card में अंकित संवेदनशील जानकारी यथा आधार, मोबाईल नम्बर के अंतिम चार अक्षर दर्शाय जाये (आधार संख्या xxxx xxxx 1234 मोबाई नं0 xxxxxx1234)।

(iii) Property Card में QR Code उपलब्ध है, जिसके स्कैनिंग पर वर्तमान में जिला, अंचल इत्यादि Open होते हैं। अन्य बिन्दुओं पर सुझाव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iv) Property Card के पेज की सेटिंग पुनः जाँच ले।

(v) Property Card में ऐकड़/डिसीमल भी अंकित रहना चाहिये।

अंत में सभी उपस्थित पदाधिकारी को प्रत्येक दशा में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अपने–अपने जिले में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराने के निदेश के साथ सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(जय सिंह)
सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे (05 जिला)–16/2026(खण्ड)2663 पटना, दिनांक 07/08/2026

प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0)/तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 7-8-26

सहायक निदेशक,

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे (05 जिला)–16/2026(खण्ड)2663 पटना, दिनांक 07/08/2026

प्रतिलिपि : उप सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित सभी नोडल पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/नोडल पदाधिकारी, आई0टी0सेल/श्री अनुपम प्रकाश, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/श्री प्रिसं कुमार/श्री कुणाल किशोर/श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 7-8-26

सहायक निदेशक,

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे (05 जिला)–16/2026(खण्ड)2663 पटना, दिनांक 07/08/2026

प्रतिलिपि : निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 7-8-26

सहायक निदेशक,

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(6)विशेष सर्वे (05 जिला)–16/2026(खण्ड)2663 पटना, दिनांक 07/08/2026

प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 7-8-26

सहायक निदेशक,

भू–अभिलेख एवं परिमाप